

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर।
पत्रांक / 14-10 दिनांक लम्भुआ 29-6-2015।
सैवा में,

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
(कैम्पा) उ० प्र०, लखनऊ।

बिषय— भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड गोरखपुर द्वारा जनपद सुलतानपुर में वाराणसी-सुलतानपुर रा० राज मार्ग-731 (पुराना एन०एच०-56) 57 एवं 59 बाँधी पटरी पर ग्राम आनापुर नरायनगंज व शेरपुर परशुरामपुर, परगना चौदा, तहसील-लम्भुआ जनपद सुलतानपुर में भूखण्ड संख्या- 596,597 व 158 पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन का पेट्रोल/डीजल का रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आप द्वारा आपत्ति क्रमांक EDS On Proposal no. U.P-010/UP/2015 Retail EDS outlet NH Varanasi-Lko . Distt. Sultanpur.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आपत्ति के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

- 1- आपत्ति क्रमांक एक के अनुसार टेबुल नं० 4 (द्वितीय) में इको क्लास 4 के स्थान पर इको क्लास-3 अंकित कर दिया गया है। मौके पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सामने मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रजाति का कोई वृक्ष नहीं है। इस प्रकार वृक्ष की मोटाई का डायमीटर क्लास अंकित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें सम्बन्धित रिटेल आउटलेट के समक्ष मार्ग पर कोई वृक्ष स्थित न होने के कारण वृक्ष कटान का कोई औचित्य नहीं है। अतः तालिका में विवरण शून्य (NIL) किया गया है।
- 2- आपत्ति क्रमांक 2 के अनुसार टेबुल नं० 5 में आख्या निम्न प्रकार है:-
No specific prescription have been given in the Working plan other than the provisions of forest conservation Act-1980 (As amended) 1988 and permission of Govt. of u.p G.O No. 7314/14- 3-980/82 dated 31-12-1984
- 3- टेबुल नं०-6 के क्रम में अवगत कराना है प्रकरण वन भूमि हस्तान्तरण का न होकर 0.15481 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग से सम्बन्धित है। भूमि समतल है तथा भूमि क्षरण हेतु संवेदनशील नहीं है।
- 4- टेबुल नं 11 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु किसी प्रकार वायोलेशन नहीं किया गया है। अतः सूचना नहीं (NO) में है।
- 5- टेबुल नं 13 में प्रथम, तृतीय व चतुर्थ के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य शाहपुर वन ब्लाक के अन्तर्गत 0.30962 हे० क्षेत्र में कराया जायेगा जिसका जी० पी० एस० लोकेशन संलग्न किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या 1 की सूचना निम्न प्रकार है:-

Patch Wise Details						
S.no	Patch No	Area(ha)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	2	3	4	5	6	7
1	1	0.30962	आरक्षित वन	लम्भुआ	1	संलग्न है

बिन्दु संख्या-3 के अनुसार जियो रिफरेंस मैप की स्कैन्ड कापी की प्रति संलग्न है।
बिन्दु संख्या-4 के अनुसार सर्वे आफ इन्डिया मैप की टोपो शीट जिस पर क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने वाले क्षेत्र को फारेस्ट वाउन्ड्री के रूप में दर्शाया गया है संलग्न कर भेजा जा रहा है।

6- टेबुल नं 14 की सूचना संशोधित कर सही रूप से निम्न प्रकार भेजी जा रही है:-

District profile-

S. No	District Name	Geographical area of the district (in ha)	Forest Area of the District (in ha)	total forest area diverted since 1980 (in ha)	No of Approved cases	Forest land including Penal c.a (ha)	Progress of Compensatory Afforestation as on (Date)	(A) Forest land (in ha)	(B) Non forest land (in ha)
1	Sultanpur	267289	636.878	3.0423	13	4.3477	3.972 (31-5-2015)	3.972 (Protected forest land)	-

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डी० के० सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर

पत्रांक 4131 / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी० के० सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर

[Handwritten signature]